

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 1981/भाग 3, 1902
No. 39] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 1981/MAG. 3, 1902

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1981

निर्यात व्यापार नियंत्रण

क्रा० आ० 49(अ)—संख्या ई० (सी०)प्रो०, 1977/ए० एम० (194) —आयात निर्यात
(नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1977 में आग सशोधन करने
के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् —

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) पांचवे सशोधन आदेश 1981 की मंजा दी जाए।

2 निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में—

(क) भाग 'ख' अनुसूची 1, में क्रम सं० 7(2)(3) के सामने दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टि का निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा —

‘तामफ्रेट में भिन्न जमाई हुई मछली’

(ख) भाग 'ख' अनुसूची 1 में क्रम सं० 7(2)(7) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा —

“7(2)(8)—ताजा/जमाई हुई प्रान्स”

(ग) खुले सामान्य लाइसेंस 3 के कालम 2 में निम्नलिखित को क्रम सं० 4(2)(7) के बाद जोड़ा जाएगा —

“4(2)(8)—ताजा/जमाई हुई प्रान्स”

[मिसिल सं० 1/1/81-ई० I]

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात*

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 23rd January, 1981

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 49(E)—No. E(C)O,1977/AM(194).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Fifth Amendment Order, 1981.

2. In the Exports (Control) Order 1977—

(a) In Part 'B' Schedule I, the existing entry appearing against Sl. No. 7(ii)(3) shall be substituted by the following :—

“Frozen Fish other than Pomfret”

(b) In Part 'B' Schedule I, the following shall be added after Sl. No. 7(ii)(7) :—

“7(ii)(8)—Fresh/Frozen Prawns”

(c) In OGL, 3, in Column No. 2, the following shall be added after Sl. No. 4(ii)(7) as under :—

“4(ii)(8)—Fresh/Frozen Prawns”

[F. No. 1/1/81-EI]

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of
Imports and Exports